



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

वर्किंग लंच हेतु पुनः निविदा सूचना

क्रमांक : मा.शि.बो./सम्पदा/2019/09

दिनांक : 29.03.2019

बोर्ड की विभिन्न बैठकों में वर्किंग लंच पैकेट एक वर्ष तक उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय रेस्टोरेन्ट संचालकों से दर संविदा के लिए पुनः निविदाएँ दिनांक 05.04.2019 अपरान्ह 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। (अनुमानित व्यय 7 लाख) निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में रु. 400/- नकद/बैंक ड्राफ्ट जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 08.04.2019 को प्रातः 11.00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र, विस्तृत शर्तें बोर्ड वेबसाईट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in अथवा <http://sppp.rajasthan.gov.in> से भी डाउनलोड की जा सकती हैं।

सचिव



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

दर संविदा – निविदा – प्रपत्र

क्रमांक : मा.शि.बो./सम्पदा/2019/09

दिनांक : 29.03.2019

सचिव

निविदा शुल्क रुपये 400/-

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि –
दिनांक 05.04.2019 सांय 3.00 बजे
निविदा खोलने की दिनांक 08.04.2019
प्रातः 11.00 बजे।

- विषय :- बोर्ड कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठकों में वर्किंग लंच के पैकिट तैयार कर उपलब्ध कराना। (एक वर्ष के लिए अनुमानित व्यय 7 लाख रुपये)
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/ठेकेदार का नाम तथा डाक का पूर्ण पता :-
.....
- दूरभाष नं. कार्यालय निवास ई-मेल
- अधिकृत प्रतिनिधि का नाम जिससे मोबाइल व दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके :-
नाम पद मोबाइल नं.
- पैन नम्बर
- बैंक खाते का विवरण- (क) खाता संख्या
(ख) खाते का प्रकार.....(ग) बैंक का नाम
(घ) शाखा का नाम. (ङ) IFSC Code No-
- निविदा शुल्क की राशि रु 400/- (अक्षरे रु चार सौ मात्र) नकद जमा रसीद/बैंक ड्राफ्ट नं. दिनांक जमा करा दी गई हैं।
- निविदा सूचना संख्या – 09 दिनांक 29.03.2019 जो समाचार पत्र में दिनांक को प्रकाशित हुई है, में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए मैं/हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न जो उपाबन्ध 'क' में दी गयी है। (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रतिस्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।) का भी पालन करने के लिए मैं/हम सहमत हैं।
- राजकीय कार्यालय / संस्थान, स्वायत्तशासी संस्था / निगम / बोर्ड / विश्वविद्यालय में कार्य करने का अनुभव :-

क्र.सं.	नाम संस्थान	कार्य राशि	वर्ष

हस्ताक्षर निविदादाता

10. दरें निविदा खुलने की दिनांक से 90 दिन तक के लिए वैध रहेंगी तथा स्वीकृत दरें करार की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगी इसके पश्चात् आपसी सहमति से 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है।
11. धरोहर 2 प्रतिशत राशि रु. 14,000/—(अक्षरे रु. चौदह हजार मात्र) नकद जमा रसीद/बैंक ड्राफ्ट संख्यादिनांकद्वारा जमा कराई गई हैं।

तकनीकी बिड

12. निविदा दो लिफाफो में प्रस्तुत की जानी है जिसमें प्रथम लिफाफा तकनीकी बिड का होगा। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से तकनीकी बिड अंकित करें। इस लिफाफे में निम्नानुसार दस्तावेजों की पूर्ति आवश्यक रूप से करें :-
- (1) पैन कार्ड
 - (2) बैंक पास बुक
 - (3) GST प्रमाण पत्र
 - (4) नगर निगम अजमेर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुमति/अनुज्ञा /पंजीयन प्रमाण पत्र
 - (5) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा FSSAI के तहत जारी किया गया अनुज्ञा पत्र
 - (6) श्रम विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र
 - (7) धरोहर राशि का मूल ड्राफ्ट/नकद जमा रसीद

वित्तीय बिड

13. द्वितीय लिफाफा वित्तीय बिड का होगा , जिसमें दरों आदि का विवरण अंकित किया जाना है।

वित्तीय बिड

14. द्वितीय लिफाफा वित्तीय बिड का होगा । जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से वित्तीय बिड अंकित करें। इस लिफाफे में केवल दरें दी जानी है।

दरें निम्न प्रकार हैं :-

विवरण	मात्रा	दर	GST की दर	कुल दर GST सहित
1.वर्किंग लंच :-		दर प्रति पैकिट :-	दर प्रति पैकिट :-	दर प्रति पैकिट :-
1. चपाती 5 नग	200 ग्राम	अंको में रूपये	अंको में रूपये	अंको में रूपये
2. दाल	150 ग्राम			
3. सब्जी	125 ग्राम			
4. चावल	100 ग्राम	शब्दों में रूपये	शब्दों में रूपये	शब्दों में रूपये
5. नमकीन	30 ग्राम			
6. अचार	20 ग्राम			
7. मिठाई	50 ग्राम			

नोट :- उक्त वर्किंग लंच में शुद्ध मूंगफली का तेल एवं मिठाई शुद्ध देशी घी तथा सभी प्रकार की कच्ची सामग्री एवं मसाले उत्तम किस्म के काम में प्रयुक्त किये जायेंगे। वर्किंग लंच तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री की व्यवस्था एवं निर्धारित स्थान तक लाने/ले जाने की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। खाना गरम व निर्देशित समय पर उपलब्ध कराना होगा। पैकिंग हेतु उत्तम किस्म के बाक्स प्रयुक्त करने होंगे।

15. उपरोक्त समस्त दरें मैंने/हमने निविदा शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर ध्यानपूर्वक कर भरी है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि होगा।
16. दरें समस्त कर/अन्य सभी प्रकार के व्यय सहित है। GST अलग से दर्शाना होगा बोर्ड द्वारा स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा।
17. प्रत्येक भोजन आपूर्ति का लिखित आदेश पत्र बिल के साथ संलग्न करना होगा।

नोट :- तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के पृथक-पृथक लिफाफे निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाये।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर
मय सील
एवं डाक का पता



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

निविदा एवं दर संविदा की शर्तें

1. निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफों में बंद कर नियत समय से पूर्व तक प्रस्तुत करें। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
2. निविदा के साथ निम्न स्वहस्ताक्षरित/प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा :-
(1) पैन कार्ड (2) बैंक पास बुक (3) GST प्रमाण पत्र (4) नगर निगम अजमेर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुमति/अनुज्ञा/पंजीयन प्रमाण पत्र (5) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा FSSAI के तहत जारी किया गया अनुज्ञा पत्र (6) श्रम विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र
3. दरें प्रति पैकिट व प्रति व्यक्ति अंको और शब्दों दोनों में ही लिखी जानी चाहिए। कटिंग की स्थिति में पूरे हस्ताक्षर होने चाहिए। सामग्री आपूर्ति की दर समस्त कर व अन्य सभी व्यय सहित दी जावे।
4. वर्किंग लंच के पैकिट सही स्थिति में पैक कर कार्यालय/बैठक/निर्देशित स्थान पर उपलब्ध करवाने होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
5. धरोहर राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के नाम स्वीकार होगी। धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. वेबसाईट से डाउनलोड निविदा प्रपत्र के साथ रु. 400/- शुल्क का डी.डी. /नकद जमा रसीद संलग्न करनी होगी।
7. ठेकेदार अपना ठेका किसी अन्य को किसी भी अवस्था में हस्तान्तरण/सबलेट नहीं कर सकेगा।
8. ठेके की अवधि दर अनुबंध की तिथि से एक वर्ष तक वैध रहेगी आपसी सहमति होने पर अवधि छः माह के लिए बढ़ाई जा सकती हैं।
9. निविदा प्रपत्र स्याही से भरा होना या अंकित किया हुआ होना चाहिए। पेन्सिल से भरे निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।
10. निविदा खोलने की तिथि समय में कोई परिवर्तन होने पर सूचना, सूचना पट्ट पर लगा दी जावेगी।
11. सफलतम निविदाता को 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि रु0 35,000/- दर स्वीकृति पत्र जारी होने के 07 दिवस में जमा करवानी होगी। जमा धरोहर राशि को प्रतिभूति के एक भाग के रूप में मान ली जायेगी। दोनों पर ब्याज देय नहीं होगा।

12. सफल निविदादाता को रु 500/-के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर दर स्वीकृति पत्र जारी करने के 07 दिवस में अनुबंध करना होगा।
13. किसी भी विवाद के लिए अन्तिम निर्णय माननीय अध्यक्ष का मान्य होगा। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।
14. एक अथवा समस्त निविदा बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती हैं।
15. ठेकेदार को भुगतान कार्य संतुष्टि की रिपोर्ट के पश्चात् बिल संबंधित विभाग के सहायक निदेशक से प्रमाणित करवाकर बिल अनुभाग अधिकारी सम्पदा को प्रस्तुत करने पर ऑन लाईन बैंक खाते के माध्यम से किया जावेगा। भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. कटौती किया जावेगा।
16. आपूर्ति किये गये भोजन/पैकेट में भोजन एवं अन्य व्यवस्थाएँ आदि एवं निर्देशित समय से विलम्ब होने पर/सन्तोषजनक नहीं होने पर भुगतान देय नहीं होगा एवं अन्य यथोचित कटौती/दण्ड रोपित किया जा सकेगा। इस बाबत बोर्ड सचिव का निर्णय अन्तिम होगा।
17. आपूर्ति न करने/विलम्बित करने/भोजन सामग्री वांछित क्वालिटी की न होने पर ठेकेदार फर्म की जोखिम व लागत पर बोर्ड अपने स्तर पर अन्य व्यवस्था कर सकेगा तथा इससे हुए अतिरिक्त व्यय की वसूली ठेकेदार फर्म से की जायेगी।
18. अपरिहार्य स्थिति में आदेश देने के 06 घण्टे पूर्व आदेश निरस्त अथवा निर्देशित मात्रा में कमी/वृद्धि की जा सकेगी।
19. दर संविदा फर्म से एक वर्ष के लिए की गयी दर संविदा के तहत आवश्यकतानुसार अथवा अलग-अलग स्थान पर बैठकें होने पर निर्देशानुसार अलग-अलग स्थान पर आपूर्ति/व्यवस्था करनी होगी।
20. अनुमानित व्यय एक वर्ष हेतु 07 लाख रु. होना संभावित है इसमें बैठकों एवं सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर कमी अथवा वृद्धि हो सकती है परन्तु निविदाकार नियत अवधि तक के लिये बाध्य रहेगा।
21. निविदा केवल अजमेर के स्थानीय रेस्टोरेन्ट ही जिनका कार्यस्थल व संचालन अजमेर में हो, ही भर सकेगें।
22. केवल न्यूनतम दर के आधार पर कार्य आवंटित करने हेतु बोर्ड बाध्य नहीं रहेगा।
23. RTPP नियम 2013 के नियम 76 (3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिदिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगी।
24. उक्त नियमों एवं शर्तों के अतिरिक्त/विपरीत निविदादाता की कोई अन्य शर्त निविदा में लिखी गई तो वह मान्य नहीं होगी।
25. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की शुद्धता तथा गुणवत्ता की जाँच प्रभारी अधिकारी से अथवा बोर्ड के मनोनीत अधिकारी कर सकेगें। यदि आपूर्ति की गई सामग्री में गुणवत्ता पूर्ण नहीं हुई तो कोई भुगतान देय नहीं होगा।

26. अन्य नियम एवं शर्तें जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है राजस्थान लोकउपापन में पारदर्शिता के नियम 2013 के प्रावधान के अनुसार होगी।
27. खाने के सैम्पल बनाकर समिति के समक्ष देना होगा। समिति द्वारा इसका अनुमोदन करने पर इसका कार्यादेश दिया जावेगा। वर्ष पर्यन्त इसी अनुसार सप्लाई करनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

घोषणा

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने/हमने ध्यानपूर्वक पढ़ ली है और मुझे/हमें स्वीकार है। अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर का निर्णय मुझे/हमें स्वीकार्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमें किसी भी संस्था द्वारा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है। निविदा एवं इसकी शर्तों की फोटो प्रति हमने अपने पास रख ली है। निर्धारित प्रपत्र "बी" में घोषणा हस्ताक्षर कर संलग्न कर दी गई हैं।

दिनांक :

निविदाकार के हस्ताक्षर मय सील

करार का प्रारूप

1. यह करार आज दिनांक को एक और (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अनुमोदित प्रदायक” कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति, में जहां संदर्भ के अनुकूल हों, उसके वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादक तथा प्रशासक सम्मिलित समझे जायेंगे।) और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के अध्यक्ष (जिन्हें इसमें इनको “बोर्ड” कहा गया है।) जिस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ के अनुकूल हों, उनके अधिकृत, Assignee एवं एजेंट तथा अभिहस्तांकित सम्मिलित समझे जायेंगे के बीच सम्पन्न किया गया है।
2. चूंकि अनुमोदित प्रदायक, राजस्थान राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को, उनके मुख्यालय पर इसके अनुसूची के क्रम संख्या में उल्लेखित समस्त वस्तुएं, इसके साथ संलग्न संविदा के पत्र तथा संविदा के प्रतिबन्धों में दी गई रीति के अनुसार तथा उक्त अनुसूची के स्तम्भ में उल्लेखित दरों से क्रय करने के लिए बोर्ड के साथ सहमत हो गया है।
3. चूंकि अनुमोदित प्रदायक ने रु की रकम नकद रसीद संख्या दिनांक डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या दिनांक द्वारा उपर्युक्त करार के यथावत पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा करा दी है।
4. अब यह लेख निम्नांकित का साक्ष्य है –
 - I बोर्ड, द्वारा सचिव के जरिए इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लेखित दरों से किए जाने वाले संदायों में अनुमोदित प्रदायक (फर्म का नाम) संलग्न अनुसूची में उल्लेखित उक्त वस्तुएं संविदा तथा निविदा की शर्तों एवं प्रतिबन्धों में बतलायी गई रीति से यथावत रूप निर्धारित अवधि में प्रदाय करेगा।
 - II निविदा और संविदा की शर्तों जो निविदा सूचना – 02 दिनांक 09.01.2019 के साथ संलग्न थी और इस करार के साथ भी संलग्न है, इस करार का अंग समझी जायेगी और इस करार को निष्पादित करने वाले पक्ष इनसे बाध्य होंगे।
 - III बोर्ड, एतद् द्वारा, यह करार करता है कि यदि अनुमोदित प्रदायक उपर्युक्त रीति से उक्त शर्तों तथा प्रतिबन्धों को मानेगा और उनका पालन करेगा, तो बोर्ड, सचिव के जरिए अनुमोदित प्रदायक को उक्त प्रतिबन्धों में उल्लेखित रीति से तथा समय पर, प्रत्येक समान के लिए देय रकम का संदाय ऑनलाईन बैंक खाते के माध्यम से करेगी या करवायेगी।
 - IV यदि अनुमोदित प्रदायक निविदा प्रारूप में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर माल की सुपुर्दगी न कर पाये तो बोर्ड अपने विवेकानुसार, माल की सुपुर्दगी की अवधि अनुमोदित प्रदायक से करारानुसार परिनिर्धारित नुकसानी जो शास्ति नहीं होगी, की वसूली के अध्याधीन बढ़ा सकेगा। यह वसूली उस सामान के मूल्य के प्रतिशत की राशि कि बराबर निम्नानुसार नीचे बतलाई गई देरी के लिये होगी।
5. यदि प्रदायक वैधानिक/उपयुक्त बाधा उत्पन्न होने के कारण संविदात्मक प्रदाय पूर्ण करने का समय बढ़ाने की अपेक्षा करें, तो वह इसके लिये उस प्राधिकारी को, जिसने प्रदाय का आदेश दिया है, बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त लिखित में आवेदन करेगा लेकिन प्रदाय पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के पश्चात् नहीं।
6. इस निविदा एवं अनुबंध के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगी।
7. धरोहर/प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
8. इस प्रकार के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा करार के निर्वाचन सम्बन्ध समस्त प्रश्न सचिव द्वारा विनिश्चय किए जायेंगे तथा सचिव का विनिश्चय ही अंतिम होगा। इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने आज दिनांक माह सन को अपने हस्ताक्षर किये।

अनुमोदित विक्रेता के हस्ताक्षर

तारीख

साक्षी सं. 1.

साक्षी सं. 2.

बोर्ड के लिए तथा की ओर से
हस्ताक्षर व पदनाम

तारीख

साक्षी सं. 1.

साक्षी सं. 2.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement ofin response to their Notice Inviting Bids No.....Dated.....I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act,2013,that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity,
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document,
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons,
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address: